सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 26, बुधवार, शाके 1944-फरवरी 15, 2023

Magha 26, Wednesday , Saka 1944- February 15, 2023

भाग-4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, February 15, 2023

No. F. 2(33)Vidhi/2/2021.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the President on the 1st day of February, 2023 is hereby published for general information:-

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2022

(Act No. 1 of 2023)

(Received the assent of the President on the 1st day of February, 2023)

An

Act

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 293, Central Act No. 2 of 1974.- In clause (g) of sub-section (4) of section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), in its application to the State of Rajasthan, after the existing expression “the Central Government” and before the existing expression, “for this purpose.”, the expression “or the State Government” shall be inserted.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, 15 फरवरी, 2023

संख्या प.2(33)विधि/2/2021.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (राजस्थान अमेण्डमेण्ट) एक्ट, 2022 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2023)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2022

(2023 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 1 फरवरी, 2023 को प्राप्त हुई)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 293 का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के, राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, उसकी धारा 293 की उप-धारा (4) के खण्ड (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "केन्द्रीय सरकार" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा, अधिसूचना द्वारा" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या राज्य सरकार" अन्तःस्थापित की जायेगी।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।